ISSN (P) : 2321-290X • (E) 2349-980X
Peer Reviewed
RNI No. UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

VOL-5* ISSUE-7* March- 2018

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.689
GIF = 0.543
IIJIF = 6.038

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala
शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

Shrinkhala UGC approved listed

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	माध्यमिक स्तर पर उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की अध्ययन आदतें एक तुलनात्मक अध्ययन प्रमोद आमेटा, उदयपुर, राजस्थान	01-06
2	बाल–अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों का पारिवारिक–परिवेश तथा सुरक्षा एवं असुरक्षा की भावना का तुलनात्मक अध्ययन मधु कंवर सोनी, जोधपुर, राजस्थान एवं जगदीश बाबल, उदयपुर, राजस्थान	07-12
3	सवाई माधोपुर जिले में मानव संसाधन विकास दीपेन्द्र सिंह मीना, जयपुर, राजस्थान	13-17
4	दौसा जिले के कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन श्रवण कुमार मीना, जयपुर, राजस्थान	18-23
5	जमवारामगढ़ तहसील में पर्यावरणीय अवनयन एवं इससे निपटने के उपाय : स्थानीय निवासियों के अनुसार अध्ययन ममता मीना, जयपुर, राजस्थान	24-30
6	मन्दाकिनी नदी के अस्तित्व पर मँडराते संकट के बादल सुरभि सिंह पटेल, इलाहाबाद	31-35
7	भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास का भौगोलिक परिदृष्य जगदीश प्रसाद मौर्य , दौसा, राजस्थान	36-41
8	सूचना का अधिकार : दशा एवं दिशा रामदयाल मीना, जयपुर ,राजस्थान	42-48
9	राज्यों में राष्ट्रपति शासन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन महेन्द्र प्रताप बाँयला, अलवर, राजस्थान	49-55
10	अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का योगदान उर्वशी चौधरी, बीकानेर, राजस्थान	56-59
11	महात्मा गांधी और सर्वोदय : एक अध्ययन मनोज कुमार, करौली, राजस्थान	60-65
12	उत्तराखण्ड राज्य में महिला चिकित्सा सुविधा : तुलनात्मक अध्ययन (जनपद पौड़ी एवं हरिद्वार) भारती थापा एवं सी.एस.सूद, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड	66-70
13	मानवाधिकार के प्राचीन भारतीय सन्दर्भ दिनेश कुमार चारण, चूरू, राजस्थान	71-73
14	अलवर रियासत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं : एक अध्ययन (महाराजा जयसिंह के विशेष संदर्भ में) हंसराज सोनी, जोधपुर, राजस्थान	74-79
15	ब्रज क्षेत्र में अप्रवासियों के परिवर्तित सामाजिक, व्यावहारिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन बीरपाल सिंह ठैनुआं, ज्योत्सना कुलश्रेष्ठ एवं दीपमाला श्रीवास्तव, आगरा	80-83
16	विवेकानन्द जी के शिकागों सम्बोधन में धार्मिक–विस्तारवाद का रेखांकन बृजभूषण, काँधला, शामली, उ० प्र०	84-88
17	देश–विभाजन के औपन्यासिक संदर्भ और भारतीय : एक दृष्टिकोण मंजुला, फुलवारीशरीफ, पटना	89-93
18	आनन्द : एक दार्शनिक विवेचन अनीता नैन, कुरुक्षेत्र	94-97

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

मानवाधिकार के प्राचीन भारतीय सन्दर्भ

सारांश

सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार जिससे सभी नागरिकों को समान एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, मानवाधिकार कहलाते हैं। भयमुक्त माहौल, सुरक्षित जीवन, शुद्ध पानी, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, यातायात एवं राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक–धार्मिक स्वतंत्रता आदि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ इसके आधार है। अतः किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। यदि कोई सरकार इसमें विफल रहती है तो उसे मानवाधिकारों का हनन माना जाता है। यूरोप में ऐसा था, अतः वहाँ इस प्रकार का विमर्श प्रारम्भ हुआ और प्रचारित किया गया कि उन्होंने ही सर्वप्रथम मानव–अधिकारों की अवधारणा प्रस्तुत की। जबकि प्राचीन भारत में मानव से भी आगे जाकर प्रत्येक प्राणी सहित पर्यावरण एवं समस्त ब्रह्माण्ड की श्रेष्ठता की कामना की गई थी।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, नागरिक, पर्यावरण, ब्रह्माण्ड, अवधारणा, सभ्यता, बर्बर, ज्वलंत, वेद, महाकाव्य, अर्थशास्त्र, शिलालेख।

दिनेश कुमार चारण
ऐसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
राजकीय लोहिया (पीजी)
महाविद्यालय,
चूरू, राजस्थान

प्रस्तावना

सन् 1215 में ब्रिटेन में राजा ने सामन्तों को कुछ अधिकार दिए, वहीं से मानवाधिकारों की बात प्रारम्भ हुई।[1] यूरोपीय इसे विश्व में जनता के मौलिक अधिकारों का प्रथम दस्तावेज मानते हैं।[2] फ्रांस में सन् 1525 में प्रकाशित पुस्तक 'द टेवेल्स आर्टिकल्स आफ द वल्क फॉरेस्ट' में जर्मनी के किसानों की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया।[3] फिर यूरोप में कई पुस्तकों में मानवाधिकारों की बेचैनी दृष्टिगत होती रही। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रूसो ने सन् 1762 में अपनी पुस्तक 'सोशल कॉन्ट्रेक्ट' में लिखा था कि मानव स्वतन्त्र पैदा हुआ है परन्तु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है।[4] उसने सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र और समान माना था। फ्रांस की क्रान्ति के नारे– समानता, स्वतत्रंता और भ्रातृत्व उसी के विचारों से प्रेरित थे।[5] वास्तव में, यूरोप में अनेक विचार और आन्दोलन बहुत समय से इस दिशा में सक्रिय थे। इस प्रकार सम्पूर्ण यूरोप में मानवाधिकारों की चर्चा फैल चुकी थी। बीसवीं सदी में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में मानवाधिकारों की वकालत की थी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में चार बिंदुओं पर विशेष बल दिया था– विचारों की अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, अभाव तथा भय से मुक्ति।[6] कुछ वर्षों बाद सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों को एक गम्भीर विषय मानते हुए अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित किया और 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया ताकि सम्पूर्ण विश्व को जाग्रत किया जा सके। आज सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार एक ज्वलंत मुद्दा है।

ध्यान रहे, भारत में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी सिन्धु सभ्यता में एक जन कल्याणकारी सरकार थी। मोहनजोदड़ों के भवन, सुनियोजित नगर योजना, हड़प्पा के अन्नागार ....आदि सब इस आशय के साक्षी है।[7] तब के शासकों को यह जानकारी थी कि घरों का पानी नालियों में इकट्ठा होगा तो गन्दगी, बदबू, मच्छर एवं बीमारियाँ फैलेगी, अतः उन्होंने एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया। मोहनजोदड़ो के भवनों में हवा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था थी। हड़प्पा के अन्न भण्डार के अवशेषों से भी हड़प्पा सरकार की अकाल व बाढ़ के समय मानव कल्याण की भावना ही परिलक्षित होती है। सैन्धव काल के नगरों के अवशेषों में प्राप्त वस्तुओं एवं मूर्तियों में उनकी स्त्री सम्मान एवं सभी जीवों–प्रकृति की रक्षा की भावना प्रकट होती है।[8] अतः कहना होगा पृथ्वी के अधिकांश भागों में लोग जब बर्बर जीवन जी रहे थे तब भारतवर्ष में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिसमें सभी स्त्री–पुरूषों, जीवों एवं प्रकृति के प्रति पर्याप्त संवेदना थी। अर्थात् भारत में सिन्धु सभ्यता के काल में मानव अधिकारों का हनन् ही नहीं हो रहा था।

विश्व की इस प्राचीनतम सभ्यता में मानव मूल्यों के जिन मापदण्डों का सैद्धान्तीकरण किया गया उनका समुचित दर्शन वैदिक सभ्यता में मिलता है। वैदिककाल के इतिहास के प्रमुख स्रोत चारों वेद है। पूर्व वैदिक काल से ही समस्त जीवों और प्रकृति की परस्पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण लोक के कल्याण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। वैदिक मंत्रों में उपस्थित मंगलकामना के भाव किसी अन्य देश में अनुपस्थित मिलेंगे। उदाहरणार्थ –

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

अर्थात् सभी सुखी होवे, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी भी दुःख का भागी न बनना पड़े। इस मंत्र में सभी जीवों के लिए प्रार्थना की गई है। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ सभी के लिए हवा, पानी, भोजन व आश्रय आदि की आवश्यकता समझ ली गई थी। उस काल में इससे बड़ी मानवाधिकारों की सुरक्षा की गूँज धरती के किसी कोने में सुनाई नहीं देती है।

यजुर्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र–
ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात [9]

अर्थात् "उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अन्तःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे।" मंत्र से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने ईश्वर से ऐसी बुद्धि की याचना की है जो किसी को भी कष्ट न पहुँचाए।

इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का शान्ति मंत्र –
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः,
सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।।[10]

अर्थात् "हे ईश्वर ! त्रिभुवन में शान्ति कीजिए, अन्तरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, औषधियों में शान्ति कीजिए। वनस्पति में, विश्व के सभी देवों में, सृजन में, सभी में शान्ति कीजिए, शान्ति में भी शान्ति कीजिए।" इस मंत्र में भारतीय ऋषि मानवाधिकार से भी कहीं बहुत आगे है। उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत भूमि से बाहर मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जाँच के लिए प्रो. कृष्णगोपाल शर्मा व प्रो. कमल सिंह कोठारी की पुस्तक "आधुनिक विश्व का इतिहास" (संस्करण 2016), प्रो. एच. सी. जैन की पुस्तक "आधुनिक विश्व का इतिहास 8" व प्रो. कालूराम शर्मा की पुस्तक "आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा" (संस्करण 2017) आदि का प्रमुखता से अध्ययन किया गया। प्रो. शर्मा व प्रो. कोठारी ने फ्रांस की क्रांति के मूल आधारों में मानवाधिकारों का उल्लेख किया है। प्रो. जैन ने रूसो के विचारों को प्रमुखता दी है। प्रो. कालूराम ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की विश्व घोषणा पत्र को रेखांकित किया है। प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक प्रो डी.डी. कोशाम्बी ने भारत की प्राचीन संस्कृति का तथ्यों सहित चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त भारत के प्राचीन इतिहास के लिए आचार्य कौटिल्य, प्रो सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉ अंशुमान द्विवेदी, डॉ. सतीशचन्द्र, प्रो. भगवती प्रसाद पान्थरी एवं प्रो. मैक्समूलर की रचनाओं से सन्दर्भ लिए गए हैं। मानवाधिकारों के वैधिक पक्ष के लिए डॉ. एस. के. सैनी की पुस्तक 'मानवाधिकार विधियां' को शोधपत्र में सम्मिलित किया गया।

उत्तर वैदिक काल में रामायण में प्रस्तुत राम–राज्य की अवधारणा परवर्ती शासकों का भी आदर्श रही। श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में मार्ग से भटके व्यक्ति को राह दिखाने का कार्य किया है। भटका हुआ राजा ही मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अतः श्रीकृष्ण ने उसे नियंत्रित करने का कार्य किया है। विद्वानों का मानना है कि भगवद्गीता में जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है। भारत का प्राचीन काल तो धर्म और अध्यात्म के लिए ही विख्यात रहा है। महावीर स्वामी की अहिंसा और महात्मा बुद्ध की करूणा आज भी विश्व को हिंसा त्यागने और प्रेमपूर्वक रहने का संदेश देती है।

मगध सम्राट में चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय शासक की संज्ञा प्राप्त है।[11] ज्ञात रहे चन्द्रमौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने राजा की दिनचर्या निर्धारित करते हुए शयन के लिए मात्र 3 घंटे का समय ही रखा था।[12] शेष समय में उन्होंने राजा को प्रजा–कल्याण के लिए प्रेरित किया। चाणक्य ने राजाओं के लिए रचित अपने ग्रन्थ पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख किया है।[13] उनका मानना था कि न्याय करते समय राजा की दृष्टि में पुत्र और शत्रु में कोई भेद नही होना चाहिए।[14] अर्थशास्त्र में एक श्लोक के अनुसार–

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।[15]

इस मंत्र में लक्षित 'राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। अर्थशास्त्र में राजा के अनुचित कार्य करने पर उसके लिए भी दण्ड का प्रावधान रखा गया था। वहीं सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्पष्ट कर दिया था कि राजा को प्रजा की रक्षा सन्तान की तरह करनी चाहिए।[16] जिस देश में राजा इतने प्रजा–हितैशी हो, वहाँ किसी के भी अधिकारों का हनन नही हो सकता है।

निष्कर्ष

यह निर्विवाद सत्य है कि समस्त विश्व में भारतभूमि पर ही सर्वप्रथम मानव सहित सभी प्राणियों एवं प्रकृति की रक्षा के महत्त्व को समझा गया। यहां मैं जर्मन निवासी प्रो. मैक्समूलर का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं व संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया तो संस्कृत व भारत को अद्भुत पाया। मैक्समूलर ने इसका रहस्योद्घाटन अपनी पुस्तक "India What Can It Teach Us" में सन् 1883 में किया। इस पुस्तक के अनुसार दुनिया में भारत ही वो जगह है; जहाँ पर मानव

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
VOL-6* ISSUE-7* March- 2019

जाति ही नहीं अपितु विश्व बन्धुत्व से भी आगे बढ़कर ब्रह्माण्ड बन्धुत्व की कामना की जाती है। अतः प्राचीन भारत में मानव सहित प्रकृति के सभी घटकों को पर्याप्त महत्व दिया जाता था।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सैनी, एस.के. – मानवाधिकार विधियाँ, पृष्ठ संख्या 35
2. शर्मा, कृष्ण कुमार – मौलिक अधिकार विश्वकोष, पृष्ठ संख्या 02
3. विकीपीड़िया – मानवाधिकार
4. जैन, एच.सी., माथुर – आधुनिक विश्व का इतिहास, पृष्ठ संख्या 78
5. प्रो. के.जी. शर्मा व प्रो. के.एस. कोठारी – आधुनिक विश्व का इतिहास, पृष्ठ संख्या 72
6. कालूराम शर्मा, व्यास – आधुनिक विश्व का इतिहास, पृष्ठ संख्या 390
7. काला सतीश चन्द्र – सिन्धु सभ्यता, पृष्ठ संख्या 38
8. काला सतीश चन्द्र – सिन्धु सभ्यता, पृष्ठ संख्या 73
9. यजुर्वेद – 36/03
10. शुक्ल यजुर्वेद – 36/17
11. विद्यालंकार, सत्यकेतु – विश्व का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ संख्या 62
12. गैरोला, वाचस्पति – कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, 1/18
13. शर्मा, देवकान्ता – कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, पृष्ठ संख्या 57
14. शास्त्री, उदयवीर–कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, 3/1/54
15. गैरोला, वाचस्पति – कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, 1/18
16. पांथरी, भगवती प्रसाद – देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक, पृष्ठ संख्या 11